

प्रपत्र-V

इसे वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी जो अवर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है।

18	राज्य सरकार की सिफारिश (उपर्युक्त भाग "ख" या भाग "ग" या भाग "घ" में किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गई प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाए)	18	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) की अनुशंसा के आधार पर जिला सागर के अन्तर्गत वनमंडल दक्षिण सागर के वन परिक्षेत्र उत्तर सागर के परिक्षेत्र ढाना के वन खण्ड कड़ता के कक्ष क्रमांक PF808, PF807, PF805, PF801, PF809, PF811, एवं PF812 का कुल रकबा 79.912 हेक्टेयर वन भूमि कैथ मध्यम परियोजना के निर्माण हेतु जल संसाधन विभाग को उपयोग पर देने की अनुशंसा की जाती है।
----	--	----	---

दिनांक: 20/2/18
स्थान: भोपाल

(कैप्टन अनिल कुमार खरे)
सचिव
म.प्र. शासन वन विभाग

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या
(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जावेगा)